मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

ओल्ड सेंट स्टीफेंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006

हेल्पलाइन नं.: 1800–111–400, काल सेंटर नं.: 1950, वेबसाइट: www.ceodelhi.gov.in

दिल्ली विधानसभा चुनाव–2015

सार्वजनिक सूचना

संपत्ति के विरूपण की रोकथाम

एतद्द्वारा जनसाधारण, राजनीतिक दलों तथा सभी इच्छुक उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों को सूचित किया जाता है कि किसी भी संपत्ति (सरकारी या निजी) का पोस्टरों, दीवारों पर लिखकर, बैनरों या अनधिकृत होर्डिंग के रूप में स्याही, चाक, पेंट या अन्य किसी सामग्री द्वारा लिखकर या चिन्हित कर सार्वजनिक दृष्टिकोण से विरूपण करना ''दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम 2007'' के प्रावधानों के अंतर्गत वर्जित है।

विधिवत अधिकृत सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित होर्डिंग्स और विज्ञापनों की उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदन के बाद निर्धारित समय सीमा के लिए लागू शुल्क के भुगतान के बाद ही अनुमति दी जाती है।

इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा और जो कोई भी विरूपण करने में/लिप्त पाया जाता है वह इस अधिनियम के अनुच्छेद 3 के तहत दंडनीय होगा जिसमें एक वर्ष तक की जेल, या पचास हजार रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी या अन्य कार्पोरेट निकाय या व्यक्तियों के संगठन (सम्मिलित हों या नहीं) के लाभ के लिए किया जाता है, तब ऐसा अन्य व्यक्ति तथा प्रत्येक अध्यक्ष, चेयरमैन, निदेशक, साझेदार, प्रबंधक, सचिव, एजेंट या अन्य कोई अधिकारी या उसके प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, चाहे वे यह साबित करें कि उन्हें अपराध की जानकारी नहीं थी, ऐसे अपराध के लिए उन्हें दोषी माना जाएगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 127 A, में अन्य बातों के साथ उल्लेख है कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई पैम्फलेट या पोस्टर नहीं छापेगा या प्रकाशित करेगा जिस पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम और पता अंकित नहीं होगा। कोई व्यक्ति जो लोक प्र. अधिनियम के अनुच्छेद 127A का उल्लंघन करेगा, उसे छह माह तक की जेल या दो हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

आगे, आईपीसी की धारा 171H की अन्य बातों के साथ उम्मीदवार के चुनाव को बढ़ावा या आकर्षक बनाने के उद्देश्य से खर्च, विज्ञापन, सर्कुलर या प्रकाशन का उम्मीदवार द्वारा प्राधिकृत किए बिना उत्तरदायित्व उठाने से प्रतिबंधित करता है। उसी तरह चुनाव अवधि के दौरान किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लिए या उसके विरूद्ध प्रिंट मीडिया में किसी विज्ञापन/चुनाव सामग्री में, सामग्री/विज्ञापन के साथ प्रकाशक का नाम और पता देना चाहिए।

उपरोक्त लिखित कानूनी प्रावधान दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 के लिए आदर्श आचरण संहिता की अवधि के दौरान सख्ती से लागू होंगे।

यह सभी संबंधितों के लिए जिनमें राजनीतिक दल/उम्मीदवार/प्रिंटिंग प्रेस शामिल हैं, के मार्गदर्शन, जानकारी और अनुपालन के लिए जारी किया जा रहा है।

ह0/–

DIP/1947/2014-15

अति. मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली